पत्रांक–04/STA–विविध–21/2018

बिहार सरकार

(परिवहन विभाग)

पत्रांक–04/STA–विविध–21/2018 6470 पटना, दिनांक– 8/10/18

प्रेषक,

संजय कुमार अग्रवाल, भा0प्र0से0,
सरकार के सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार सरकार।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार।

सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार।

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी,
बिहार।

विषयः– **मालवाहक वाहन के परमिट हेतु ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति एवं निष्पादन की प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि दिनांक–10.10.2018 से मालवाहक वाहन के परमिट के लिए ऑनलाईन माध्यम से आवेदन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है। उक्त कार्य के लिए एन0आई0सी0 द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जो वाहन–04 पर उपलब्ध है। ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया निम्नवत होगी।

(i) वाहन स्वामी परमिट के आवेदन हेतु परिवहन विभाग, बिहार के Website (www.transport.bih.nic.in) पर जाकर Apply permit online पर क्लिक करेंगें।

(ii) आवेदक सीधे https://parivahan.gov.in/vahanservice पर जा सकते है और वहाँ menu bar में दिख रहे online services के तहत permit online option को चुन सकते हैं।

(iii) वहाँ आवेदक को राज्य चुनना होगा।

(iv) इसके बाद आवेदक को वाहन संख्या तथा चेसिस नम्बर के आखिरी पाँच अंक डालना होगा।

(v) Proceed करने पर mobile number माँगा जायेगा जिस पर प्राप्त OTP को अंकित करने के पश्चात् Apply for new permit page खुल जायेगा।

(vi) वहाँ कुल 6 विकल्प दिखाई देंगे।

(vii) वर्तमान में Apply for new permit option ही enabled है। वहाँ click करने पर fresh permit apply करने का page खुलेगा और आवेदक को अपनी सम्पूर्ण जानकारियाँ एवं परमिट याचना से संबंधित सभी विवरण यथोचित field में भरना होगा। सभी जानकारी सही–सही भरने के पश्चात् submit करना होगा।

(viii) अगला स्टेज शुल्क जमा करने का होगा। इसमें दो option दिखेगें। सम्प्रति pay later option ही उपलब्ध है।

(ix) वहाँ click करने पर Application Number प्राप्त होगा।

(x) इस Application Number को दर्ज करने के बाद आवेदक अपने आवेदन को print कर सकता है।

(xi) आवेदन print करने के पश्चात् आवेदक उसके साथ, निम्नलिखित कागजात संलग्न करेंगेः–

 (a) Fitness,
 (b) Pollution Under Control,
 (c) Insurance,

P.T.O.

(d) Photo Id Proof,

(e) वाहन का चार साइड से खींचा गया फोटो ।

आवेदन का प्रिंट तथा उपर्युक्त पाँचों कागजातों के साथ आवेदन RTA कार्यालय (प्रमंडलीय जिलों के लिए) या DTO कार्यालय (प्रमंडलीय जिलों के अतिरिक्ति) के counter पर जमा करेंगे।

(xii) आवेदक RTA कार्यालय (प्रमंडलीय जिलों के लिए) या DTO कार्यालय (प्रमंडलीय जिलों के अतिरिक्ति) के counter पर यथोचित फी/टैक्स जमा करेंगे और पावती प्राप्त करेंगे।

<u>DTO कार्यालय में प्राप्त आवेदनों का निष्पादन</u>

जिला परिवहन कार्यालय में प्राप्त आवेदनों को जिला परिवहन पदाधिकारी संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के कार्यालय में प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार एवं शुकवार को सूचीबद्व कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें। सभी प्राप्त आवेदनों के निष्पादनोपरान्त निर्गत परमिट संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। आवेदक उसी काउन्टर से परमिट प्राप्त कर सकते हैं जहाँ से उन्होंने आवेदन दिया था।

जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यालय में परमिट संबंधी कार्य के लिए एक अलग काउन्टर की व्यवस्था की जायेगी। साथ ही उक्त कार्य के लिए अलग से किसी कर्मी/ऑपरेटर को जिम्मेदारी देना सुनिश्चित की जायेगी।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (RTA) कार्यालय में प्राप्त आवेदनों का निष्पादन :–

1. संबंधित RTA सचिव के द्वारा दो कर्मियों को चिन्हित् कर दायित्व दिया जायेगा। चिन्हित् कर्मी अपने login/password के सहारे उक्त लिंक पर जाकर प्राप्त आवेदन एवं संलग्न कागजातों की गहन जॉच (scrutiny) करेंगे। तदोपरान्त सही पाये जाने की स्थिति में आवेदन प्रधान लिपिक को अग्रसारित करेंगे।
2. प्रधान लिपिक आवेदन को सत्यापित (verify) कर संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को अग्रसारित करेंगे।
3. नियमानुसार आवेदन सही पाये जाने की स्थिति में एवं नियमानुसार सक्षम प्राधिकार से यथोचित स्वीकृति के पश्चात् संबंधित सचिव–सह–संयुक्त आयुक्त, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार परमिट निर्गत करेंगे।
4. कार्यालय द्वारा परमिट शुल्क से प्राप्त राजस्व का सही ढंग से संधारण किया जायेगा।

अनुलग्नकः–याथोक्त

विश्वासभाजन,
8/10/18

(संजय कुमार अग्रवाल)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–**04/STA–विविध–21/2018** 6470 पटना, दिनांक– 8/10/18

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सभी संबंधितों को उनके ई–मेल/फैक्स पर तत्काल भेजने हेतु प्रेषित ।

8/10/18

(संजय कुमार अग्रवाल)
सरकार के सचिव